

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकांशी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, लहरपुर, खैराबाद, जनपद-सीतापुर / नौतनवां, जनपद-
महराजगंज / कांधला, जनपद-शामली / नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी / खलीलाबाद
, जनपद-संतकबीर नगर / नानपारा, जनपद-बहराइच / साण्डी, शाहाबाद,
जनपद-हरदोई / कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा / सोरो, जनपद-कासगंज।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।


महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की माँग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार 11 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 4,84,00,000 /- (₹ चार करोड़ चौरासी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2,42,00,000 /- (₹ दो करोड़ ब्यालिस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक / डाकघर / पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.03.13 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत / संस्थागत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (5)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग / डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय / कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना / कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री / उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

- (7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (8)– स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।
- (9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
- (10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिये जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।
- (12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।
- (14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-“6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1024-दस/14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

 (सुधीर सिंह चौहान)
 संयुक्त सचिव

संख्या-आरएफ.161 (1)/नौ-9-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. कोषाधिकारी, जनपद सीतापुर/महराजगंज/शामली/मुजफ्फरनगर/बाराबंकी/
संतकबीर नगर/बहराइच/हरदोई/गोण्डा/कासगंज ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7. संबन्धित नगर पालिका अध्यक्ष, उ०प्र० ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग ।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

शासनादेश संख्या-आरएफ 161/9-9-14-02आरएफ/14,दिनांक. 24फरवरी, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र	निकाय का नाम/ जनपद	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्राक्कलित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, लहरपुर,सीतापुर।	1.ईदगाह में कोटा स्टोन लगाने का कार्य। 2.पुरबियाटोला में भुईया माता मन्दिर से करबला रोड तक नाला निर्माण कार्य।	33.42 18.99		
		योग	52.41	45.00	22.50
2	नगर पालिका परिषद, खैराबाद, सीतापुर	1.करनपुर पक्का बाग इब्राहिम से रियाज के मकान, नसरुद्दीन से वसी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड। 2.लहरपुर रोड के किनारे बुनियाद डिग्री कालेज से हाजी नब्बन की फैक्ट्री तक नाला निर्माण कार्य मय आर.सी.सी. कवर सहित। 3.रमसा धर्मकाटा से डी0जे0 कालेज गेट तक नाला निर्माण कार्य मय आर.सी.सी. कवर सहित।	11.45 39.87 39.93		
		योग	91.25	90.00	45.00
3	नगर पालिका परिषद, नौतनवा, महाराजगंज	जनपद महाराजगंज में नगर पालिका परिषद-नौतनवा के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज के सामने स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत का कार्य	39.54		
		योग	39.54	25.00	12.50
4	नगर पालिका परिषद, कांधला, शामली	ईदगाह में मिट्टी भराव व इन्टरलाकिंग कार्य	30.00		
		योग	30.00	30.00	15.00
5	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी	निबलेट तिराहे से बेगमगंज चौराहे के आगे रतन सिंह के घर तक साइट पटरी के दोनों ओर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य	24.13		
		योग	24.13	24.00	12.00
6	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीरनगर	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में मोहल्ला बंजरिया पश्चिम एवं अचकवापुर जूनियर हाई स्कूल के पास से मोती चौराहा तक इण्टरलाकिंग सडक निर्माण।	31.723		
		योग	31.73	30.00	15.00
7	नगर पालिका परिषद, नानपारा, जनपद बहराइच	1.मोहल्ला मेहतरन टोला में लोहिया मार्केट से डा0 अमर की पुलिया तक इण्टर-लाकिंग का कार्य। 2.मोहल्ला कायस्थ टोला में अख्तर टेन्ट वाले के मकान से माधवदास मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य। 3.मोहल्ला पुरानी बाजार में बिहारी लाल के मकान से जाहिद अली के मकान होते हुये इमामबाडे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	16.18 10.59 24.10		
		योग	50.87	50.00	25.00

8	नगर पालिका परिषद, साण्डी, जनपद-हरदोई	1.मो0नवाबगंज में डामर सड़क से हरीराम के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	0.74		
		2.मो0नवाबगंज में आनन्द हलवाई की दुकान से रवीन्द्र मेडिकल स्टोर तक इण्टरलाकिंग नाली का कार्य।	01.71		
		3.मो0नवाबगंज में पी0डब्लू0डी0 डामर सड़क से मुईद के मकान तक डामर सड़क व नाली का कार्य।	04.31		
		4. मो0ऊँचाटीला में मुन्ने खों से राम सागर इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण।	03.93		
		5. मो0ऊँचाटीला में राम औतार के मकान दाताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण।	04.18		
		6.मो0ऊँचाटीला में वासिद के मकान से छोटे खों के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	06.51		
		7.मो0काजीटोला में डामर सड़क से इण्टरलाकिंग सड़क तक इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	04.26		
			25.64	25.00	12.50
9	नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, जनपद- हरदोई	मो0 वलाय कोट में जमील की दुकान के सामने(हाई मास्क)से पूरब की ओर राधे मोहन चौराहा नरेन्द्र के घर तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	25.82		
			25.82	25.00	12.50
10	नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज जनपद-गोण्डा	1.मो0 नई बाजार में वंशी मस्जिद से सीमेंट कंकरीट मेन रोड तक सी0सी0 इण्टर लाकिंग पेवर मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।	10.40		
		2.मो0 बालूगंज में श्री मुमताज के घर से डा0 अवधेश शुक्ला के घर तक डामर रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	19.28		
		योग	29.68	25.00	12.50
11	नगर पालिका परिषद सोरों जनपद-कासगंज	1.निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क/नाली परिक्रमा मार्ग परमहंस द्वार से संत तुलसीदास स्मारक तक।	27.86		
		2.निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क/नाली श्री रामप्रकाश पेन्टर से छावनी वाली धर्मशाला तक।	39.22		
		3.निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क/नाली श्री बहोरी लाल मल्लाह के घर के पास से नागालैण्ड आश्रम तक।	03.88		
		4.निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क/नाली राजावाले घाट से श्री डब्लू चौधरी के घर तक।	29.54		
		5. निर्माण इण्टरलाकिंग सड़क मौ0रामसिंह पुरा से श्री अरविन्द महेश्वरी के घर से श्री गणेश वाष्णय की दुकान तक श्रीमती महारानी गुप्ता वाली गली।	12.61		
		योग	118.11	115.00	57.50
		महायोग		484.00	242.00

(रूपये दो करोड़ बयालिस लाख मात्र)

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-24/02/2014

प्रेषण संख्या:- 161
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF161-9-9-2014-2RF-14
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मुजफ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01-- (शाश्वती)	वर्तमान प्रगामी	1500000 13000000	1500000 13000000
2	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6750000 29750000	6750000 29750000
3	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5000000	2500000 5000000
4	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250000 31439500	1250000 31439500
5	बहराइच-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 9500000	2500000 9500000
6	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000	1200000 1200000
7	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250000 38100000	1250000 38100000
8	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
9	कांसीराम नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5750000 14500000	5750000 14500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24200000 143989500	24200000 143989500

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपया दो करोड़ बयालीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ उनचालीस लाख नवासी हजार पाँच सौ

उप सचिव
उमा शंकर सिंह